पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2020 ई0 (भाद्रपद 28, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–33

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	677–696	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	395–402	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड — ...	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	273–291	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग–3

कार्यालय–ज्ञाप

21 अगस्त, 2020 ई0

संख्या 448/XV–3/2020–07(19) 2016 (मत्स्य)–मत्स्य विभागान्तर्गत उप निदेशक (वेतनमान ₹ लेवल–11, ₹ 67700–208700) के स्वीकृत 04 पदों के सापेक्ष रिक्त 03 पदों पर चयन हेतु गठित विभागीय पदोन्नति चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर नियमित चयनोपरान्त निम्नलिखित सहायक निदेशक, मत्स्य को उप निदेशक, मत्स्य के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. श्री गणेश चन्द्र जोशी
2. श्री प्रमोद कुमार शुक्ल
3. श्रीमती अल्पना हल्दिया

2. सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त सम्बन्धित अधिकारियों को उप निदेशक के पद पर परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
4. उक्त सम्बन्धित अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
5. उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1079/2013(एस0/एस0) श्री अनिल कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

शहरी विकास अनुभाग–3

अधिसूचना

27 अगस्त, 2020 ई0

संख्या 734/IV(3)/2020–57(सा0)/2006–उत्तराखण्ड राज्य स्थित नगर निगम हरिद्वार के वार्ड संख्या–09 ब्रह्मपुरी के सभासद श्री राम किशन के आकस्मिक निधन होने के कारण उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 50(3) के प्राविधानों के क्रम में हरिद्वार नगर निगम के वार्ड संख्या–09 ब्रह्मपुरी के सभासद पद को एतद्द्वारा रिक्त घोषित किया जाता है।

शैलेश बगौली,
सचिव।

पर्यटन अनुभाग

अधिसूचना

विविध

01 सितम्बर, 2020 ई0

संख्या 1306/VI(1)/2020–04(02)/2020–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2001) की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने एवं स्वरोजगारन्मुखी योजना को क्रियान्वित करने के लिए दी जाने वाली राजकीय सहायता को नियंत्रित करने तथा इस सहायता के अन्तर्गत प्रारम्भ की जानी वाली परियोजनाओं को संचालित किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना नियमावली, 2020" है।

(2) यह नियमावली ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर के आस–पास पड़ने वाले गाँवों पर लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें 2. जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "होम–स्टे" से ऐसी आवासीय इकाई अभिप्रेत है जो पूर्णतः आवासीय परिसर हो जिसमें भवन स्वामी स्वयं निवास करता हो तथा ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर के 02 कि0मी0 की परिधि में पड़ने वाले गाँवों तथा ट्रॅक्शन सेंटर से निकलने वाले ट्रेक मार्गों में ही स्थित हो;

(ख) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर" ऐसे स्थल से अभिप्रेत है जहां से अधिकतम ट्रैकिंग मार्ग प्रारंभ होते हो व शहर से अलग हो जिनका चिन्हीकरण जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं यू0टी0डी0बी0 द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए;

(घ) "भवन स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय अपने स्वयं के भवन जो कि (होम–स्टे) हेतु प्रस्तावित है, में परिवार सहित निवास करता हो;

(ड) "राज्य से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(च) "योजना" से ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना अभिप्रेत है;

(छ) "समिति" से इस नियमावली के नियम 8 के अन्तर्गत गठित चयन/ मूल्यांकन/अनुश्रवण समिति अभिप्रेत है;

(ज) "आवेदक/लाभार्थी" से ऐसा भवन स्वामी अभिप्रेत है जो अपने भवन के आवासीय कक्षों को पर्यटकों/अतिथियों के लिए उपलब्ध कराने का इच्छुक है एवं इस नियमावली के अन्तर्गत भवन के पंजीकरण हेतु परिषद में आवेदन करता है;

(झ) "पंजीकरण" से इस नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण अभिप्रेत है।

ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान हेतु आवश्यक शर्तें

3. किसी भवन को होम–स्टे के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि–

(एक) भवन पूर्णतः आवासीय परिसर हो;
(दो) भवन स्वामी अपने परिवार सहित भवन में निवास करता हो;
(तीन) अतिथियों के खान–पान की व्यवस्था भवन स्वामी द्वारा की जाये;
(चार) होम–स्टे में अतिथियों के लिए न्यूनतम 1 तथा अधिकतम 6 कक्षों की व्यवस्था की गयी हो।
(छः) होम–स्टे का विभाग में पंजीकरण हो।

रियायतें/ छूट (Exemptions)

4. (1) होम–स्टे से प्राप्त आय पर गृह आवास के रूप में पंजीकरण के पश्चात् प्रथम तीन वर्षों तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर की धनराशि की विभाग द्वारा अदायगी/प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2) विद्युत/जल/भवन कर आदि जैसे शुल्क/कर को सम्बन्धित विभागों द्वारा अव्यवसायिक दरों पर वसूल किया जा सकेगा।

(3) होम–स्टे स्थापित किये जाने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) भवन निर्माण करने के संबंध में प्रचलित नियमों का पालन किया जाएगा।

राजकीय सहायता दिये जाने हेतु पात्रता, प्रोत्साहन व लाभ

5. होम–स्टे स्थापित/उच्चीकृत किये जाने हेतु राजकीय सहायता (अनुदान) दी जायेगी, जिसके लिये निम्न प्रकार से नियम/शर्तों का निर्धारण किया जायेगाः–

(1) **निधि का सृजनः**– पर्यटन विभाग के आय–व्ययक में प्रत्येक वर्ष दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) योजना हेतु

प्राविधानित धनराशि में से निधि का सृजन किया जायेगा। अनुदान की धनराशि निदेशक पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद देहरादून की अधिकारिता में रखी जायेगी।

(2) **पात्रता**:– इस योजना के अधीन राजकीय सहायता (अनुदान) निम्नलिखित पात्रता रखने वाले व्यक्ति को स्वीकृत की जायेगी:–

(क) ट्रैक्शन सैंटर के पास पड़ने वाले गाँव के मूल निवासी को;
(ख) ऐसे भवन स्वामी को जो स्वयं परिवार सहित प्रस्तावित होम–स्टे में निवास करता हो;
(ग) ऐसे व्यक्ति को, जो होम–स्टे के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्वामी/ हिस्सेदार हो;
(घ) व्यक्ति किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो;
(ड) रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से समय–समय पर शासन द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगो आदि को दिये जाने वाले आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा;
(च) राजकीय प्रोत्साहन राशि एवं लाभ प्राप्त करने हेतु नये होम–स्टे विकसित करने के अतिरिक्त पुराने भवनों की आन्तरिक साज–सज्जा, उनका विस्तार/नवीनीकरण/सुधार एवं शौचालयों के नवनिर्माण या उच्चीकरण आदि के लिये भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा। पारम्परिक/पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

राजकीय सहायता की धनराशि

6. राजकीय सहायता (अनुदान) के रूप में नए कक्षों के निर्माण हेतु प्रतिकक्ष रूपये 60,000 (साठ हजार) Attached toilet की सुविधा के साथ तथा पूर्व से निर्मित कक्षों की साज–सज्जा हेतु रूपये 25,000 (पच्चीस हजार) प्रतिकक्ष अधिकतम 6 कक्षों तक, का भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत वास्तविक देयकों के आधार पर, गठित समिति के मूल्यांकन/पुष्टि के उपरान्त किया जायेगा।

राजकीय सहायता दिये जाने की अन्य शर्तें

7. (1) राजकीय सहायता (अनुदान) की धनराशि का भुगतान गठित समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात यथासंभव एक माह के भीतर कर दिया जायेगा।

(2) पूंजी संकर्म के अन्तर्गत केवल अनावर्तक प्रकार के व्यय की मदें होगी। राजकीय सहायता की प्राप्ति के 10 वर्ष के भीतर, इस प्रकार सृजित आस्तियों का न तो निस्तारण किया जायेगा और न ही उसका उपयोग उस प्रयोजन से जिसके लिये राजकीय सहायता दी गयी है से भिन्न किसी योजना के लिये किया जायगा। इस प्रकार निर्मित भवन या भवन की वर्तमान संरचना में किये गये विस्तार, जिस पर राजकीय सहायता प्रदान की गयी है, के सम्बन्ध में निजी उद्यमकर्ता, गठित समिति द्वारा नियत किराये पर पर्यटकों को ऐसे भवनों में, सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये बाध्य होगा।

चयन समिति की संरचना

8. उद्यमियों के चयन एवं योजना के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले में एक चयन/अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी:–

(एक)	जिलाधिकारी	– अध्यक्ष
(दो)	मुख्य विकास अधिकारी	– सदस्य
(तीन)	जिलाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता	– सदस्य
(चार)	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	–सदस्य सचिव

यह समिति सम्बन्धित गाँव में आवेदकों के चयन, लाभार्थियों को वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का क्रियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों आदि के विषय में कार्यवाही करेगी। उपरोक्त गठित समिति के कृत्यों का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा। यह समिति योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय को अवगत करायेगी। जिन प्रकरणों पर समिति निर्णय लेने में असमर्थ रहती है उन्हें उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद/शासन को संदर्भित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारियों अथवा आवेदकों एवं विशेषज्ञों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है। क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों तथा आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये वन विभाग, नक्शा पास करने वाले प्राधिकारी, नगरपालिका आदि के प्रतिनिधियों को भी बैठक हेतु विशेष आमंत्री के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।

मूल्यांकन समिति की संरचना

9. चयनित उद्यमियों के द्वारा प्रस्तुत देयकों का मूल्यांकन/पुष्टि एवं भुगतान हेतु संस्तुति के संबंध में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी:–

(एक)	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	–अध्यक्ष
(दो)	सम्बंधित क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी	–सदस्य
(तीन)	जिलाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्र के अवर अभियंता	–सदस्य

मूल्यांकन समिति निम्न बिंदुओं को आधार मानते हुए भुगतान हेतु दस्तावेजों कि पुष्टि करेगी:–

(क) भवन

(ख) पर्यटकों/अतिथियों हेतु आवासीय सुविधांए

(ग) आवश्यक सिविल कंस्ट्रक्शन कार्य यथा:– मशीन, इक्यूपमेंट फांउडेशन (वास्तविक अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित रेट के आधार पर, जो भी कम हो)

मूल्यांकन समिति के कृत्य

10. मूल्यांकन समिति लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों/देयकों का तकनीकी व वित्तीय परीक्षण करते हुए भुगतान हेतु अपनी संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी। तत्पश्चात डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित की जाएगी।

जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा समस्त दस्तावेजों का संकलन लेखा परीक्षण के उद्देश्य से किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

11. लाभार्थियों का चयन व्यापक प्रचार–प्रसार के उपरान्त, पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर होगा। जांचोपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदकों के आवेदन पत्रों के आधार पर, चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन पत्र पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से या विभागीय वेब–साईट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकेगा, जिसे भरने के पश्चात् भवन स्वामी सम्बन्धित जिले के क्षेत्रीय/जिला पर्यटन कार्यालय में जमा करेगा।

चयन समिति के कृत्यः–

12. (1) चयन समिति, प्रत्येक योजना का परीक्षण करेगी और साधारण बहुमत से राजकीय सहायता को स्वीकृत करेगी। चयन समिति के सदस्य/सचिव द्वारा विनिश्चय की सूचना सम्बन्धित उद्यमी को दी जायेगी।

(2) समिति के अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर, योजना की सार्थकता एवं उपादेयता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छमाही आधार पर प्रत्येक लाभार्थी/उद्यमी की परियोजना का भौतिक सत्यापन, जिसमें वाणिज्यिक सफलता का मूल्यांकन भी सम्मिलित है, किया जायेगा तथा दुरूपयोग/दुर्विनियोग की दशा में विधिक कार्यवाही सुनिश्चित् की जायेगी।

(3) लाभार्थी द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने के पश्चात् नियमानुसार होम–स्टे संचालित न करना पाये जाने पर अनुदान राशि की वसूली के लिए **"उत्तर प्रदेश पब्लिक मनी (रिकवरी ऑफ डयूज) एक्ट, 1965"** के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग

13. इस नियमावली के अधीन बनायी गयी प्रत्येक योजना पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित की जायेगी। साथ ही योजना की गुणवत्ता, उपादेयता, परिचालन, परिपुष्टता एवं आवश्यक अनुश्रवणात्मक व्यवस्थायें भी सुनिश्चित की जायेगी। उद्यमी की योजना हेतु अन्य किसी विभाग यथा वन, पर्यावरण, ऊर्जा आदि से किसी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होने पर उसको उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

होम–स्टे का समूह(cluster) के रूप में विकास

14. (1) ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर के पास 02 कि0मी0 की परिधि में स्थित किसी भी गांव में 6 या उससे अधिक होम–स्टे स्थापित किये जाने पर उन्हें समूह (cluster) माना जायेगा। ऐसे समूह (cluster) के चयन की कार्यवाही जिलाधिकारी के माध्यम से की

जायेगी। सर्वप्रथम जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों के आस–पास ही समूह (cluster) चिन्हित किये जाने का प्रयास किया जायेगा। यह योजना पर्यटन विभाग में पूर्व से लागू उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना (एकल/क्लस्टर योजना) से संचालित होगी।

(2) समूह (cluster) में जो होम–स्टे विकसित होंगे उन ग्रामों में होम–स्टे पर्यटन हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधा कार्य भी कराये जायेंगे।

फैसेलिटेशन एवं मार्केटिंग

15. (1) ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर के पास स्थित किसी भी गांव हेतु विभाग द्वारा पंजीकृत होम–स्टे के लिये पृथक से पोर्टल/वेब–साईट तथा एप विकसित किया जायेगा, जिसमें होम–स्टे से सम्बन्धित समस्त जानकरियां विद्यमान होंगी।

(2) ऑन–लाईन एवं ऑफलाईन व्यवसायिक मार्केटिंग की सुविधा भी निःशुल्क होम–स्टे मालिकों को प्रदान की जायेगी।

(3) होम–स्टे के फैडरेशन बनवाकर उनके प्रतिनिधियों द्वारा होम–स्टे के प्रचार–प्रसार हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा जिन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्टस् में प्रतिभाग किया जाता है, में निःशुल्क प्रतिभाग किये जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(4) पर्यटकों की सुविधा हेतु होम–स्टे के सम्बन्ध में रेटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे किसी होम–स्टे के विषय में पर्यटकों को उसके स्तर की जानकारी प्राप्त होगी।

(5) होम–स्टे संचालकों को समय–समय पर आतिथ्य सत्कार गतिविधियों के संचालनार्थ प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था होगी।

लेखा परीक्षा

16. इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि निदेशक पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के स्तर से सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। नियमावली के अंतर्गत किसी योजना की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा की जायेगी। राजकीय सहायता के भुगतान की स्वीकृति के समस्त आदेशों की एक प्रति महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून, वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, पर्यटन अनुभाग और वित (आय–व्ययक) अनुभाग को पृष्ठांकित की जायेगी।

प्रकीर्ण

17. (1) पर्यटन निदेशालय व उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के समस्त अधिकारी/कर्मचारी, जैसा कि अपेक्षित हो, सहयोग प्रदान करेंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद इस नियमावली के अंतर्गत किसी योजना के निष्पादन/क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) इस नियमावली के अंतर्गत किसी योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई स्पष्टीकरण या सूचना अपेक्षित हो तो पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन का विनिश्चय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना के अन्तर्गत राज सहायता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

.....
.....
.....

स्वप्रमाणित
आवेदक का फोटो

महोदय,

मैं/हम.....पुत्र श्री.....निवासी.....
.....तहसील.....डाकघर.....जिला.....
.....उत्तराखण्ड ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना के अन्तर्गत होम–स्टे निर्माण/विकसित करने हेतु रू0.....शब्दों में.....
.....धनराशि स्वीकृति हेतु निवेदन करता हूँ/करते हैं तथा इस संदर्भ में वांछित आवश्यक सूचना निम्न प्रकार से आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:–

1–आवेदक का नाम .....
2–आयु (जन्म तिथि सहित) .....
3–योजना क्रियान्वयन का स्थल व पता .....
4–क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,
(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें।).....
....
5–क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है, ...
(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6–योजना के लिये भवन/भूमि उपलब्धता का विवरण:–
(क) भूमि का क्षेत्रफल .....
(ख) भूमि/भवन के स्वामित्व अथवा हिस्सेदारी का प्रमाण .....

पत्र जो स्थानीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो।
7–योजना का नक्शा .....

8–योजना की अनुमानित लागत .....

9– अन्य विवरण यदि कोई हो तो पुष्टि .....
के आधार पर इंगित किया जाय।

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना नियमावली, 2020 हेतु गठित समस्त नियम एवं निर्देशों का भली भॉति अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम उक्त सभी नियमों एवं निर्देशों का पालन करूंगा/करेंगे। उपरोक्त दी गयी समस्त सूचना मेरे/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं/हम इस बात के लिये पूर्ण रूप से सचेत हूँ/हैं कि किसी भी दशा में उक्त वर्णित सूचना गलत तथ्यों के आधार पर पायी जाती है तो "**ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना**" के अन्तर्गत होम–स्टे निर्माण/विकसित करने हेतु स्वीकृत समस्त धनराशि उपादान की राशि सहित की वसूली मुझसे कर ली जाय। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर/नाम)

विशेष ध्यानाकर्षण :–

आवेदक आवेदन पत्र को दो प्रतियों में भरकर निम्नलिखित संलग्न को (सत्यापित प्रतिलिपि) सहित सम्बन्धित जनपद के पर्यटन कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र में जमा करायें :–

1 जन्मतिथि/आयु प्रमाण पत्र
2 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
3 अनु0 जाति/अनु0 जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
4 उत्तराखण्ड के मूल निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
5 भूमि/भवन सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1306/VI(1)/2020-04(02)/2020**, dated September 01, 2020 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

September 01, 2020

No. 1306/VI(1)/2020-04(02)/2020--In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 8 of the Uttarakhand Tourism Development Board Act, 2001 (Act, no. 12 of 2001), the Governor is pleased to allow to make the following rules in view to control the government aid given for developing tourism as industry in the State and implementation of self-employment scheme and to operate the project, to be started under this aid.

The Trekking Traction Centre Home-stay Grant Scheme Rules, 2020

Short title, extent and commencement

1. (1) These Rules may be called "The Trekking Traction Centre Home-stay Grant Scheme Rules, 2020".

(2) These Rules shall apply only to the villages falling nearby to the trekking traction centre.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In these rules, unless otherwise required by subject or context-

(a) "home-stay" means such residential unit which is wholly a residential premises in which building owner himself resides and is located in the villages falling within 02 km of the perimeter of trekking traction centre and trekking routes originating from the traction centre;

(b) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Uttarakhand Tourism Development Board;

(c) "trekking traction centre" means such place , from where most trekking routes begins and are separate from the city, which shall be identified by the District Magistrate and shall be notified by U.T.D.B., from time to time;

(d) "building owner" means such person who, for the time being, resides with his/her family in his own building, proposed for home-stay;

(e) "State" means the Uttarakhand State;

(f) "scheme" means the trekking traction centre home-stay grant scheme;

(g) "committee" means the select/evaluation/monitoring committee constituted under rule 8 of these rules;

(h) "applicant/beneficiary" means such building owner who is willing to make available residential rooms of his building for tourists/guests and applies to board for registration of building under these rules;

(i) "registration" means registration made under these rules.

Prerequisites for grant of trekking traction centre home-stay

3. For using a building as home-stay, it is necessary that :-

(i) the building is fully residential premises,

(ii) the building owner resides in the building with his/her family,

(iii) the catering of the guests shall be arranged by the building owner,

(iv) a minimum of one room and maximum six rooms have been provided for the guests in the home-stay.

(v) home-stay is to be registered in the department.

Exemptions

4. (1) The amount of State Goods and Service Tax shall be paid / reimbursed by the department for the first three years after registration as a house accommodation on the income received from the home – stay.

(2) The fees / taxes like- electricity / water / building tax etc may be recovered by the concerned departments at uncommercial rates.

(3) There is no need to change land – use to establish home –stay.

(4) The prevailing rules regarding building construction shall be followed.

Eligibility for giving government aid and incentives and benefits

5. The state government aid (grant) shall be given to establish/upgrade the home-stay, for which the rules/conditions shall be determined as follows:-

(1) **Creation of funds** :- Every year, in the budget of the Tourism Department, the funds shall be provided from the amount provided for the Deen Dayal Upadhyay Home-stay Scheme. The amount of the grant shall be kept under the control/jurisdiction of Director Tourism/Chief Executive Officer, Uttarakhand Tourism Development Board, Dehradun.

(2) **Eligibility:-** Under this scheme, the state aid (grant) shall be sanctioned to the person possessing the following eligibility :-

(a) To such person who is the domicile of the village falling near by the traction centre ;

(b) The building owner resides with his/her family in the proposed home-stay ;

(c) Such person is the owner/partner of the land required for the construction of the home-stay;

(d) The person shall not be the defaulter of any bank or financial institution ;

(e) With a view to provide employment, the benefits of reservation given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, other backwards classes, ex-servicemen, disabled etc by the government, from time to time, shall be permissible;

(f) Apart from developing new home-stays to state incentive and benefits, the benefits of the scheme shall also be permissible for the interior decoration of old buildings, their expansion/ renovation /improvement and renovation or upgrading of toilets etc. Preference shall be given to the buildings built/developed in the traditional/ hill style

Amount of Government aid **6.** After the evaluation/confirmation of the actual bills submitted by the applicant, by the committee constituted, sixty thousand rupees per room with attached toilets for construction of new rooms and rupees twenty five thousands per room for decoration of pre-constructed room, maximum for six rooms, shall be given as government-aid (grant)

Other conditions for giving government aid **7.** (1) The amount of government aid (grant) shall be paid as soon as possible within one month after the approval of committee constituted.

(2) Only non-recurring types of expenditure shall be under capital-work. Within ten years of the receipt of government-aid, the assets such created shall neither be disposed of nor it shall be used for any other scheme than the purpose for which the government-aid is given. The private entrepreneur shall be bound to provide facilities to tourists in such buildings, on the rent fixed by the committee constituted, in respect of the extension made in the existing structure of the building or building thus constructed.

Structure of the Selection committee **8.** For the selection of entrepreneurs and monitoring the scheme, a selection/monitoring committee shall be constituted in every district, consisting of the following persons :-

(i)	District Magistrate	– Chairman
(ii)	Chief Development Officer	– Member
(iii)	Executive engineer of the concerned area nominated by the District Magistrate	– Member
(iv)	District Tourism Development Officer	-Member Secretary

This committee shall proceed regarding selection of applicants, funding of beneficiaries, implementation and monitoring of physical progress of the scheme and various governmental clearances to the beneficiaries in the respective villages. The District Magistrate shall have full responsibility of the functions of the above said committee. This committee shall inform to headquarters Uttarakhand Tourism Development Board, regarding physical/financial progress of the scheme. The matter on which the committee is unable to take decision, shall refer it to the Uttarakhand Tourism Development Board/Government. Officers of other departments or applicants and experts may also be invited in this committee, by the District Magistrate, as per necessity. Keeping in view the circumstances of the particular area and problems of the applicants, representatives of the forest department, map-passing authorities, municipalities etc. may also be invited as special invitee for the meeting, by the District Magistrate.

Structure of the evaluation committee 9. A selection committee shall be constituted regarding recommendation for evaluation/confirmation and payment of bills submitted by the selected entrepreneurs, consisting of the following members :-

(i) District Tourism Development Officer. – Chairman

(ii) Block Development Officer of the concerned area. – Member

(iii) Executive Engineer of the concerned area nominated by the District Magistrate. – Member

The evaluation committee shall confirm the documents for payments, considering the following points as bases-

(a) Building

(b) Residential facilities for the tourists/guests

(c) Necessary civil constructions works as-machine, equipment foundation (on the basis of actual or scheduled rate of PWD, whichever is lesser)

Functions of the evaluation committee 10. The evaluation committee, after technical and financial examination of the documents/bills submitted by the beneficiary, shall forward with its recommendations for payment to the District Magistrate, thereafter the amount of grant shall be transferred into the account of beneficiary through D.B.T. All documents shall be compiled by the district Tourism officer, for the purpose of audit.

Selection Procedure 11. The selection of the beneficiaries shall be done on the basis of first come first serve after submission of the application on the prescribed form by the tourism department, after wide publicity. The selection shall be done through interview on the basis of

application of applicants found suitable after scrutiny. The application form may be obtained from regional offices or by downloading from the department website; after filling it, the building owner will submit it in the regional/district tourism office of the concerned district.

Functions of the Selection committee

12 (1) The selection committee will examine every scheme and shall approve government aid by simple majority. The information of decision shall be given to concerned entrepreneur, by the member/secretary.

(2) Physical verification of the project of every beneficiary/entrepreneur which also includes the assessment of commercial success shall be done on half-yearly basis by the chairman of the committee, from time to time to ensure the significance and utility of the scheme and ensure the legal action in case of misuse/misappropriation.

(3) After receiving the amount of grant by the beneficiary, if home-stay is not operated as per rules the action shall be taken under the Uttar Pradesh Pubic money (Recovery of dues) Act, 1965 for recovery of the amount.

Nodal department for Implementation of the scheme

13. Every scheme made under this rules shall be implemented by the Tourism department, Uttarakhand besides, the quality, utility, operation, satisfaction and necessary monitoring arrangements shall also be ensured. Assistance shall be provided to the entrepreneur, in case of need of any no objection certificate from any other department like forest, environment, energy etc.

Development of home-stay cluster

14 (1) If six or more home-stay are established in any village within a perimeter of two km near the trekking traction Center, they shall be considered as a cluster. The proceeding of selection of such cluster shall be made through the District Magistrate. First of all, efforts shall be made to identify cluster around the major tourist spots of the district. This scheme shall be governed by the Uttarakhand Rural Tourism Upliftment scheme (single/cluster) already applicable in the tourism department.

(2) Necessary infrastructure facilities for home-stay tourism shall also be provided in those villages developing home-stay in cluster.

Facilitation and marketing

15 (1) For any villages located near the trekking traction centre, a separate portal/website and app shall be developed by the department for the home-stay (which shall contain all the information related to the home-stay.)

(2) The facility of online and offline commercial marketing shall also be provided free of cost to owners of home-stay.

(3) By creating the federation of home- stay, their representatives shall be provided an opportunity to participates such National and

International travel marts, in which Uttarakhand Tourism Development Board takes part, free of cost.

(4) For the convenience of tourists, a rating system regarding home-stay shall be there, so that the tourists may get the information about the level any of home-stay.

(5) There shall be arrangement to provide training to the home-stay operators, from time to time, for conduct of hospitality activities.

Audit

16. For implementation of the provision of these rules, the amount received from the government shall be made available to the concerned District Magistrates from the level of Director Tourism/chief Executive officer, Uttarakhand Tourism Development Board. The audit of any scheme under the rules shall be done by the Accountant General, Uttarakhand Dehradun. A copy of all orders of sanction of payment of government aid shall be endorsed to the Accountant General Uttarakhand Dehradun, Finance (Expenditure control) section, Tourism Section and Finance (Budget) section.

Miscellaneous

17 (1) All officers/employees of the Directorate of Tourism and the Uttarakhand Tourism Development Board shall provide assistance, as required and the chief Executive officer, Uttarakhand tourism Development board shall be responsible for the execution/implementation of any scheme under these rules.

(2) If any clarification or information is required for the implementation of any scheme under these rules the decision of Tourism Department, Uttarakhand Government shall be final and acceptable.

Format of application for government aid under the Trekking Traction Centre Home-stay Grant Scheme

Self attested photograph of the applicant

To,

....

....

....

Sir,

I/we ....s/o Shri ....r/o ....Tehsil .... P.O................District....... Uttarahand requests/requests to sanction ....(rs. In words) .... for constructing/developing home-stay under the Trekking Traction Centre Home-stay Grant Scheme and necessary desirable information in its reference is as follows :-

1. Name of the applicant ....
2. Age (with date of birth) ....
3. Place and address of implementation of scheme ....
4. Whether applicant belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes (if yes attach the certificate granted by the competent authority) ....
5. Whether applicant is ex-servicemen (if yes attach certificate) ....
6. Details of availability of building/land for scheme ....
   (a) Area of the land ....
   (b) Certificate of ownership or partnership of land/ building granted by the local competent authority ....
7. Map of the scheme
8. Estimate cost of the scheme
9. Any other details, if any, shall be marked on the basis of confirmation ....

Declaration

I/we declares/declare that I/we had completely read the all rules and directions provided for the Trekking Traction Centre Home-stay Grant Scheme Rules,2020 and I/we will follow every rule and directions said above. All information given above is actually correct and true according to my/our knowledge. I/we all are aware of the fact that if any condition the above mentioned infoemation found on the basis of wrong facts, the whole amount with aid amount sanctioned for construction/development of home-stay under the Trekking Traction Centre Home-stay Grant Scheme shall be recovered from me. I/we shall have no objection on it.

(Signature/name of the applicant)

Special note-

The applicant shall file the application form in two copies and submit the following annexures (attested copies) to the concerned Tourism office or Tourism welcome centre :-

1. Date of birth/Age certificate
2. Educational certificate
3. Certificate of SC/ST/OBC/Ex-servicemen (if applicable)
4. Certificate regarding domicile of Uttarakhand
5. Certificate regarding land/building

By Order,

DILIP JAWALKAR,
Secretary.

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

अधिसूचना

03 सितम्बर, 2020 ई0

संख्या 647/XIII–2/2020–01(01)/2020 टी0सी0–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 02, वर्ष 2020) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यादेश के प्रभावी होने की तिथि से धारा 3 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अनुसूची में उल्लिखित कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ समूचे राज्य को एक एकल मण्डी क्षेत्र घोषित करते हैं।

आज्ञा से,

डा0 हरबंस सिंह चुघ,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the English translation of Notification **No. 647/XIII-2/2020-01(01)/2020 T.C.**, dated September 03, 2020.

NOTIFICATION

September 03, 2020

No. 647/XIII-2/2020-01(01)/2020 T.C.--WHEREAS, the State Government is satisfied that it necessary and expedient to do so in the public interest.

Now, therefore, the Governor in exercise of the power conferred by Section 4 of the "Uttarakhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Ordinance. 2020" (Uttarakhand Ordinance No. 02 of 2020) declares the whole State as one unified market area for the purpose of regulating the marketing of Agricultural Produce and Livestock specified in the notification issued under Section 3 from the date of Ordinance came into effect.

By Order,

DR. HARBANS SINGH CHUGH,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 हिन्दी गजट/342–भाग 1–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 सितम्बर 2020 ई0 (भाद्रपद 28, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

August 31, 2020

No. 203/XIV-a-37/Admin.A/2012--Shri Sandip Kumar Tiwari, Civil Judge (Sr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 31 days *w.e.f.* 01.07.2020 to 31.07.2020 with permission to suffix 01.08.2020 to 03.08.2020 as holidays of Idu'l Zuha, Sunday and Rakshabadhan respectively.

NOTIFICATION

August 31, 2020

No. 204/XIV-a-34/Admin.A/2012--Smt. Niharika Mittal Gupta, Additional Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 103 days *w.e.f.* 10.02.2020 to 22.05.2020 with permission prefix 08.02.2020 & 09.02.2020 as holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

August 31, 2020

No. 205/XIV-a/34/Admin.A/2012--Smt. Niharika Mittal Gupta, Additional Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned medical leave for 14 days *w.e.f.* 06.12.2019 to 19.12.2019.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

August 31, 2020

No. 206/XIV-a/47/Admin.A/2012--Ms. Simranjit Kaur, Additional Chief Judicial Magistrate, Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned child care leave for 50 days *w.e.f.* 16.06.2020 to 04.08.2020, in terms of the Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011, issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

August 31, 2020

No. 207/UHC/Admin.A/2020--The Chief Judicial Magistrate, Bageshwar is given additional charge of the Court of Civil Judge (Sr. Div.), Bageshwar.

The order will come into force w.e.f. 01.09.2020.

By Order of the Court,

Sd/-

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General.

राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड

अधिसूचना

28 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 6908/IV–122/2020–उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 234 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राजस्व परिषद् राज्य सरकार की पूर्व सहमति से उत्तर प्रदेश भू–राजस्व (सर्वेक्षण तथा अभिलेख संक्रिया) नियमावली, 1978 में अग्रेत्तर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश, भू–राजस्व (सर्वेक्षण तथा अभिलेख संक्रिया)} (संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश, भू–राजस्व (सर्वेक्षण तथा अभिलेख संक्रिया)} (संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 10 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश, भू–राजस्व (सर्वेक्षण तथा अभिलेख संक्रिया) नियमावली, 1978 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान दियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–10 :– सर्वेक्षण या पुनःसर्वेक्षण द्वारा मानचित्र का पुनरीक्षा करने के लिए "रूल्स एण्ड इन्स्ट्रक्शन फार सर्वे आफ विलेजेज" नामक पुस्तक में दिये गये अनुदेशों का पालन किया जायगा। प्रारम्भ में कार्य सर्वेक्षण लेखपाल की सहायता से सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा किया जायेगा।	नियम–10 :– सर्वेक्षण या पुनः सर्वेक्षण द्वारा नक्शे का पुनरीक्षण करने के लिए "गांव का सर्वेक्षण करने के लिए नियम तथा निर्देश" शीर्षक पुस्तक में शामिल निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा। अथवा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी तकनीक यथा – (1) Differential Global Positioning Systesm (DGPS). (2) CORS Station.

(3) Electronic Total Station Machine (ETS).
(4) Digital leveling Machine network based ROR software.
(5) G.T.S based spatial data porcessing sofrware (IGIS software).
(6) Areial survey. ByDrone or Air craft/ Air Borne.

अथवा

अन्य किसी समकक्ष तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है।

नियम 14 का संशोधन

3. मूल नियमावली के स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के उप नियम (1) का खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ –2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थपित नियम
नियम– 14 क्षेत्रफल निकालना– (1) ऐसे खेतों, भू–खण्डों और ग्रामों के क्षेत्रफल को जिनका मानचित्र पुनरीक्षित किया जाय, गणना निम्नलिखित रीति से की जायेगी– **(क)** सर्वेक्षण या पुनः सर्वेक्षण द्वारा पुनरीक्षित मानचित्र की स्थिति क्षेत्र संचय एरिया कोम्ब द्वारा;	**नियम– 14 क्षेत्रफल निकालना–** (1) जिन गांव के नक्शे का पुनरीक्षण कर लिया जायं उनके खेतों, प्रखण्डो का क्षेत्रफल निम्नलिखित प्रणाली द्वारा परिक्कलित लिया जाएगा– **(क)** यदि नक्शें का पुनः परीक्षण, सवेक्षण द्वारा किया गया हो तो क्षेत्र छत्ता प्रणाली द्वारा, **अथवा** नियम 10 में उल्लिखित तकनीक द्वारा एकत्रित निर्देशांकों के आधार पर गणना द्वारा और

नियम 34 का संशोधन

4. मूल नियमावली के स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 34 के उप नियम (2) का (2) का खण्ड (क) एवं (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख संशोधन दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम– 34 (2) (क) राजस्व और भू–अभिलेख प्रयोजनों के निमित्त दो नीले नक्शें,वस्त्र पर बनी छः प्रतिलिपियां और कागज पर बनी चार	**नियम–34 (2) (क)** राजस्व तथा भू–अभिलेख प्रयोजनों दो नक्शे (blue prints) वस्त्र पर छः प्रतियां तथा कागज पर चार प्रतियां अथवा नक्शे की सॉफट कॉपी / अथवा डिजिटल कॉपी

प्रतिलिपियां

(ख) अन्य विभागों, खातेदारों और जनता को विक्रय के लिए वस्त्र पर बने मानचित्र की चार या अधिक प्रतिलिपियां, यदि सहायक अभिलेख अधिकारी वास्तव में मांगी गयी प्रतिलिपियों के अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करने के पश्चात ऐसा विनिश्चय करें।

(ख) अन्य विभागों, भू–धृतिधारकों तथा जनता को विक्रय के निमित्त वस्त्र की चार प्रंतियां या अधिक प्रतियां अथवा सॉफ्ट कॉपी/हार्डकॉपी/डिजिटल कॉपी यदि सहायक अभिलेख अधिकारी वस्तुतः अपेक्षित संख्या में प्रतियो के अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करते हुए ऐसा विनिश्चय करता है।

नियम 35 का संशोधन

5. मूल नियमावली के स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 35 का संशोधन स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नियम–35 पुनरीक्षित अभिलेखों का स्वच्छ लेखन–सर्वेक्षण लेखपाल द्वारा अभिलेखों के पुनरीक्षण के दौरान तैयार किये गये अभिलेखों की सहायता से पुनरीक्षित अभिलेख का स्वच्छ लेखन दो प्रतियों में किया जायगा।	**नियम–35** पुनरीक्षित अभिलेखों का स्वच्छ लेखन पुनरीक्षित अभिलेखों का दो प्रतियों में स्वच्छ लेखन अथवा कम्पयूटर में टंकन अभिलेखों के पुनरीक्षण की अवधि के दौरान तैयार किये गये अभिलेखों की सहायता से किया जायेगा।

आज्ञा से,

बी0एम0 मिश्र,
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

July 28, 2020

No. 6908/IV-122/2020–In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 234 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, the Uttarakhand Revenue Board with the prior approval of the State Government to make the following rules for further amend in the Uttar Pradesh Land Revenue (Survey and Record Operation) Rules, 1978:–

The Uttarakhand {Uttar Pradesh Land Revenue (Survey and Record Operation)} (Amendment) Rules, 2020

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand {Uttar Pradesh Land Revenue (Survey and Record Operation)} (Amendment) Rules, 2020

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 10 2. The Uttar Pradesh Land Revenue (Survey and Record Operation) Rules, 1978 (as applicable to the State of Uttarakhand) (hereinafter referred to as the Principal rule), rule 10 of existing rule as set out in colomun-1, the rules set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
Rule 10. Instruction shall be compliance given in the book "Rules and instruction for Survey of Villages" for map and revision through the survey or re-survey. Initial survey shall be done by Kanungo with the help of Lekhpal.	**Rule 10.** Compliance of instruction shall be followed with the book "Title Rule and Instruction for the Survey of Village" for revision of map through survey or re-survey. or Approved any technique by the State Government for this purpose, namely- (1) Differential Global Positioning Systems (DGPS). (2) CORS Station. (3) Electronic Total Station Machine (ETS) (4) Digital leveling Machine 'network based ROR software. (5) G.T.S based spatial data processing software (IGIS software). (6) Areial survey. By Drone or Air craft/ Air Borne. Or Other any technique may be exercise.

Amendment of rule 14 3. In Principal rules for the existing rule 14 as set out in column -1 below, the rule as set out in column -2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
Rule 14. Area extraction: (1) Such fields, plot and area of village shall be revised the map, calculating through the following manner- (a) Status of map revised by survey or re-survey through the accumulation area comb.	**Rule 14. Area extraction:** (1)The area of the blocks of the village whose maps are revised shall be calculated by the following method:- (a) If review of map shall be done by survey then through the field hive system considerate. or Through the calculating on the bases of collected index by the techniques mentioned in rule 10.

Amendment of rule 34 4. In Principal rules for the existing rule 34 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
Rule 34(2)(a). For the purpose of revenue and land records, two blue maps, six copies an four copies on paper. (b) Four or more copies of the map made on cloth for sale to other department, account holders and public if the Assistant Record Offices actually makes such a decision after considering local requirement in addition to the copies sought.	**Rule 34 (2) (a).** For revenue and land record purposes, blue prints on cloth, six copies and four copies on paper or soft copy or digital copy of the map. (b) Four or more copies of cloth for sale to other departments land holder and the public or soft copy/ hard copy / digital copy if Assistant Records Officer makes such decision considering the local requirement in addition to the actual number of copies required.

Amendment of rule 35 5. In Principal rules for existing rule 35 as set out in column 1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
Rule 35. Neat writing survey of revised records- The scrutiny of the revised record shall be done in two copies with the help of the records prepared during the review of the records by the Lekhpal.	**Rule 35.** Neat copies of revised record shall be done in two copies of revised record or prepared with the help of during the revision of typed record in Computer.

By Order,

B. M. MISHRA,

Commissioner and Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 हिन्दी गजट/342–भाग 1–क–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2020 ई0 (भाद्रपद 28, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, लक्सर, जनपद हरिद्वार

05 दिसम्बर, 2019 ई0

पत्रांकः 493/वसूली/2019–20–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद् लक्सर की सीमा के अन्तर्गत ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधि–2019 नगर पालिका परिषद् लक्सर के अधिवेशन दिनांक 22.10.2019 में प्रस्ताव सं0–05, के द्वारा तैयार कर अनुमोदित की गयी है। निम्न उपविधि के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को किसी प्रकार की शिकायत/आपत्ति अथवा कोई सुझाव हो तो वह इस उपविधि के प्रकाशन के एक पक्ष के भीतर किसी भी कार्य दिवस में अपनी लिखित शिकायत/आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। इस अवधि के बाद प्रस्तुत शिकायत/आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगर पालिका परिषद लक्सर – प्रस्तावित उपविधि

नगर निगम अधिनियम की धारा 541(1)(42) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15(ङ),15(च) एवं 15(यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर पालिका परिषद लक्सर द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगर पालिका परिषद लक्सर के अधिवेशन दिनांक 22. 10.2019 में प्रस्ताव सं0 –05, के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ती एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ।

अध्याय–1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :
2. (1) ये उप–नियम नगर पालिका परिषद लक्सर **ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप–नियम, 2019 कहलाएंगे।**
   (2) ये उप–नियम नगर पालिका परिषद लक्सर के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि 2009, गजटनोटिफिकेशन 16 जुलाई 2010 द्वारा प्राख्यापित उपविधि नगर पालिका परिषद लक्सर ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप–नियम, 2019 लागू होने की तिथी से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2. ये उप–नियम नगर पालिका परिषद लक्सर की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नाकित परिभाषाएं लागू हैं:–

(क) **"बल्क उघान और बागवान कचरा"** का अर्थ हैं, उघानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार,कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेडो की कटिंग,टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं।

(ख) **"बल्क कचरा उत्सर्जन** का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्व वार्ड कार्यालय के नोडल अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) **"संग्रह"** का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना;

(घ) **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ हैं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

(ड) **"निर्माण एवं विध्वंस कचरा"** का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) **"स्वच्छ क्षेत्र"** का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली,फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख–रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना हैं।

(छ) **"सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)"** का अर्थ है, नगर पालिका परिषद द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) **"कंटेनराइज्ड हैड कार्ट"** का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पालिका परिषद या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) **"सुपुर्दगी"** का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पालिका परिषद के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) **"ई–कचरा"** का अर्थ वही होगा, जो ई–कचरा (प्रबंधन) नियम,2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) **"फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)** " का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस)कहा जा सकता है;

(ठ) **"कूडा–कचरा"** का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप–नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति,जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो।

(ड) **"गंदगी फैलाने"** का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) **"स्वामी"** का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;

(ण) **"अधिभोगी/पट्टेदार"** का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(प) **"पैलेटाइजेशन"** का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं।

(फ) **"निर्धारित"** का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) **"सार्वजनिक स्थल"** का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान,जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) **" संग्रहण"** का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों,आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) **"सैनेटरी वर्कर"** का अर्थ है, नगर पालिका परिषद के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगर पालिका परिषद /एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य) **"शेड्यूल"** का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्व शेड्यूल;

(र) **"इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी"** का अर्थ है, नगर पालिका परिषद द्वारा समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) **"खाली प्लाट "** का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्व कोई ऐसी भूमि या खुला स्थाल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय –2

ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(प) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगाः–

(क) गैर–जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पालिका परिषद के निर्देशों के अनुसार पथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौपेगा।

(पप) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गो मेंः–

(क) गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए को नगर पालिका परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगाः—

हराः— जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीलाः— गैर—जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए;

कालाः— घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(पअ) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पालिका परिषद के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए,पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं। जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग,उपचार और निपटान कम्पोस्टिग अथवा बायो—मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अ) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पालिका परिषद की भागीदारी के साथ,सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो—मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पालिका परिषद द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अप) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पालिका परिषद के भागीदारी सें, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो—मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अपप) कोई व्यक्ति गैर—लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पालिका परिषद को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें।

(अपपप)सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबेधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर—जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

(पग) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पालिका परिषद द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा।

(ग) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पालिका परिषद के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(गप) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पालिका परिषद या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(गपप) निर्माण कार्यो और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(गपपप)बायो मेडिकल कचरा, ई–कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(गपअ)निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पालिका परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा।

(गअ)पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निगम श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय–3
ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:–

(घ) नगर पालिका परिषद के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पालिका परिषद संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(घप) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पालिका परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पालिका परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(घपप) कचरे को स्व–स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे।

(घअ) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(अ) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें।

(अप) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

(अपप)कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(अपपप)कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पालिका परिषद द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो–टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों(इन उपनियमों के खंड 4 व उप–खंड(पअ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(पग) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर–जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(ग) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण,घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(गप) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पालिका परिषद द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्व और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पालिका परिषद द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पालिका परिषद अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी,ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर पचांयत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(गपप)तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/ साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएगा,जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(गपपप)अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(गपअ) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहा थ्रीव्लीहर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो,ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पालिका परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(गंअ) ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(गअप) नगर पालिका परिषद या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

अध्याय–4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा

(प) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(पप) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा,जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:–

(क) गैर–जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा:–

- हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए
- नीलाः गैर–जैव अपघटीय कचरे के लिए
- कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पालिका परिषद समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित

गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(पअ) नगर पालिका परिषद स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(अ) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पालिका परिषद या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप–नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे।

(अप) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(अपप) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

(अपपप) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप–नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढग से संगृहीत किया जा सकें।

(पग) नगर पालिका परिषद या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(ग) सूखे कचरे (गैर–जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर पालिका परिषद अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर–जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और/या नगर पालिका परिषद से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बैच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

(गप) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पालिका परिषद अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय–5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:–

(प) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है,जो नगर पालिका परिषद द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(पप) नगर पालिका परिषद द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(पपप) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो–मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा।

(पअ) जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(अ) एकत्र किया गया गैर–जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुचाया जाएगा।

(अप) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।

(अपप) नगर पंचायत कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(अपपप) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें।

(पग) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(ग) यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(गप) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(गपप) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए।

(गपअ) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(गअ) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो–टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा।

(गअप) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो–टिप्परों, तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एमटीएस तैनात किए जाएगें।

(गअपप) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले।

(गअपपप) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

(गअग) नगर पालिका परिषद अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय–6
ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :–

(प) नगर पालिका परिषद ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्व ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगाः–

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो–मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव–स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्वति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो–मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(पप) नगर पालिका परिषद रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(पपप) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

(पअ) नगर पालिका परिषद सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपड़ा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा–निर्देशः–

(प) नगर पालिका परिषद सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(पप) नगर पालिका परिषद यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(पपप) नगर पालिका परिषद यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए।

(पअ) नगर पालिका परिषद कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य हागा।

अध्याय–7
ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर पालिका परिषद अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव करेगा।

अध्याय–8
इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः–

(क) कचरा उर्त्सजकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची–1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पालिका परिषद अथवा अध्यक्ष/ नगर पालिका परिषद द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पालिका परिषद इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पालिका परिषद ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/ व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भॉती वसूल की जायेगी।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माला/दंड :–

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप–नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप–नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगायां जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर–अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी, चौकी थाना प्रभारी होगें तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय–9
प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः–

(प) कूडा फेकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा।

(ग) वाहनों से कूडा फेकना : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना : कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी : कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान : कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

(पप) कचरे को जलाना : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्व होगा।

(पपप) "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(पअ) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधयों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पालिका परिषद से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें।

(अ) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पालिका परिषद द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्व जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पालिका परिषद की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर पालिका परिषद के सम्बद्व जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(अप) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर–निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पालिका परिषद निम्नांकित ढंग से निपटेगा :–

(क) नगर पालिका परिषद किसी परिषर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पालिका परिषद निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है :–

(प) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(अपप) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :

(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पालिका परिषद के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पालिका परिषद को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पालिका परिषद इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर–जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14. नगर पालिका परिषद के दायित्व :

(प) नगर पालिका परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पालिका परिषद अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी–निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यता हों।

(पप) नगर पालिका परिषद अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानों का रख रखाव करेगा।

(पपप) नगर पालिका परिषद विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(पअ) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम लेखा लिपिक या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पंचायत जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(अप) नगर पालिका परिषद अद्यतन सडक/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(अपप) नगर पालिका परिषद सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(अपपप) नगर पालिका परिषद कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करे। नगर पालिका परिषद विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो–मिथेनेशन, कम्पोस्टिग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

(पग) नगर पालिका परिषद स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्व तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

(ग) नगर पालिका परिषद ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(गप) नगर पालिका परिषदयह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(गपप) नगर पालिका परिषद कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(गपपप) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पालिका परिषद को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(गपअ) नियमित जांच : अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(गअ) नगर पालिका परिषद अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(गअप) नगर पालिका परिषदएसडब्ल्यूएम नियमों और उप–नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एंकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(गअपप) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका परिषद अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा।

(गअपपप) नगर पालिका परिषद एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं।

अध्याय–10
विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।
16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगर पालिका परिषद अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।
17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप–नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

अनुसूची–1
ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

क्र सं	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये में)
1	2	3
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल कार्ड धारक)	कच्ची झोपडी रु 10.00, पक्का मकान रु 20.00 प्रतिमाह
2.	कम आय वाले घर(बी.पी.एल कार्ड धारक के अतिरिक्त रु 5000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले घर)	रु 30.00 प्रतिमाह
3.	मध्यम आय वाले घर (रु 5000.00 से अधिक रु 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	रु 40.00 प्रतिमाह
4.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	रु 50.00 प्रतिमाह
5.	सब्जि एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में रु 10.00 प्रतिदिन,दुकान एवं फड पर रु 20.00 प्रतिदिन
6.	मांस एवं मछली विक्रेता	न्यूनतम 60.00 रु 10 कि0ग्रा0 तक, उससे अधिक पर रु 01.00 प्रति कि0ग्रा0 प्रतिदिन अतिरिक्त
7.	रेस्टोरेन्ट	छोटे रु 300.00, मध्यम रु 800.00 तथा बडे रु 2000.00 प्रतिमाह

1	2	3
8.	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस	20 बेड तक रु 300.00, 21 बेड से 40 बेड तक रु 500.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु0 800.00 प्रतिमाह
9.	धर्मशाला	रु 1.50 प्रति कमरा प्रतिमाह
10.	बरातघर(चेरिटेबिल) बरातघर(नॉन–चेरिटेबिल)	रु 200.00 प्रति उत्सव रु 1000.00 प्रति उत्सव
11.	बेकरी	रु 150.00
12.	कार्यालय	50 कर्मचारियो तक रु 200.00, 51 से 100 कर्मचारियों तक रु 400.00,101 से 300 कर्मचारियों तक रु 500.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियो वाले कार्यालय से रु1000.00 प्रतिमाह
13.	संस्थाएं(आवासीय)	100 बेड तक के लिए रु 2000.00,उससे अधिक रु 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त प्रतिमाह
14.	संस्थाएं(अनावासीय)	500 विद्यार्थियो तक रु1000.00,उससे अधिक रु15000.00 प्रतिमाह
15.	हॉस्पिटल/नर्सिग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	20 बेड तक रु 1000, 21 बेड से 40 बेड तक रु1500.00 एवं 41 से 100 बेड तक रु 2000.00,उससे अधिक रु 2500.00 प्रतिमाह
16.	क्लीनिक/पैथोलोजी	क्लीनिक रु100.00, पैथोलोजी रु 500.00 प्रतिमाह
17.	दुकान/चाय की दंकान	मौहल्ले की छोटी दुकान रु 50.00, बाजार की दुकान रु 75.00, शोरुम रु 200.00, छोटे मॉल रु 1000.00,बहुमंजिला मॉल रु 2000.00, प्रतिमाह तथा अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निःशुल्क
18.	फैक्ट्री	छोटी रु 600.00, मध्यम रु 1000.00, बडी रु 5000.00 प्रतिमाह
19.	वर्कशॉप	छोटी रु 200.00,बडी रु 500.00 प्रतिमाह
20.	कबाडी	छोटी रु 200.00,बडी रु 500.00 प्रतिमाह
21.	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	रु 10.00 प्रतिदिन
22.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	रु 600.00 होटलों में, विवाह रु 2000.00 प्रति उत्साह
23.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50घन मी0 तक रु 200.00, 1.0घन मी0 तक रु 400.00, 3.0घन मी0 तक रु 1000.00, 6.0घन मी0 तक रु 2000.00,इससे अधिक प्रतिघन मी0 रु 200.00 अधिक
24.	सिनेमा हॉल	रु 600.00 प्रतिमाह
25.	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिस्ठान की स्थिति के अनुसार)	रु 200.00 से रु 2000.00 तक प्रतिमाह

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची–2

जुर्माना/दंड

क्र सं	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना	आवासीय बल्क जन्रेटर 5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	200 500 10,000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	5000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर–आवासीय स्थान	500
			फिस,मीट विकेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना	500
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	सडक/गली में 1. कूडा फैकना,थूकना 2.नहाना,पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना,गोबर नाली में बहाना	उल्घनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी। 500
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	200
			गैर–आवासीय/बल्क जन्रेटर	500
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	1000
			गैर–आवासीय/बल्क जन्रेटर	5000

4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	10,000
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2). 15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/ अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा				
8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू. ए	10,000
			बजार एसोसिएशन,संघ	20,000
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	10,000
			संस्थान	20,000
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	50,000
			रेस्टोरेंट	20,000
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी	1,00,000

12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कुपनियां	50,000
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि	50,000
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक /वाहन/चालक	1000
15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर निगम की उप विधि को होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल / अतिथिग्रह स्वामी	1000
16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस,मेले,राजनैतिक रैलिया,वाणिजिक,धार्मिक, सास्कृतिक कार्यकमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000

मौ0 गौहर हयात,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् लक्सर।

अम्बरीश गर्ग,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद् लक्सर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 हिन्दी गजट/342–भाग 8–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।